

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

२६४

क. एफ सी ३-१२/२०१०/१/३

भोपाल दिनांक ५-३-२०१०

प्रति,

शासन के समरत विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,  
समरत विभागाध्यक्ष,  
समरत संभागायुक्त,  
समरत जिलाध्यक्ष,  
समरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :— शासकीय सेवकों एवं म०प्र० राज्य निगम/मण्डल, स्वशासी संस्थाओं  
तथा नगर सैनिकों के लिए सीधी भरती के लिए अधिकतम आयु  
सीमा।

संदर्भ :— इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक ३-१५/७७/३/१ दिनांक ३  
दिसम्बर १९७७ ज्ञापन दिनांक क्रमांक सी-३-२६/८६/३/१  
दिनांक १ जनवरी १९८७ एवं ज्ञापन क्रमांक सी-३-१/८७/३/१  
दिनांक २४ फरवरी १९८७

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के  
स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवकों एवं म०प्र० राज्य निगम/मण्डल,  
स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा नगर सैनिकों को राज्य शासन के  
अधीन अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु  
सीमा ३८ वर्ष निर्धारित की गई थी। राज्य शासन ने उपरोक्त ज्ञापनों को  
अधिकमित करते हुए पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया है, कि राज्य शासन के  
शासकीय सेवकों एवं मध्यप्रदेश राज्य निगम/ मण्डल स्वशासी संस्थाओं के  
कर्मचारियों को तथा नगर सैनिकों को राज्य शासन के अधीन अन्य पदों पर  
आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए ४० वर्ष एवं  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए  
(०५ वर्ष की अतिरिक्त छूट देते हुए) ४५ वर्ष रहेगी।

  
अकीला हशमत  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग


-2-

पृ.क्रमांक एफ सी-3-12/2010/1/3

भोपाल, दिनांक ५ जून, २०१०

## प्रतिलिपि:-

1. रजिस्टर जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्डौर
4. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश, भोपाल
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश, भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्डौर / ग्वालियर / जबलपुर।
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल।
15. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश, मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय भोपाल
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के संगस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

  
 (आर.के.गजभिये)  
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
 मध्य प्रदेश शासन  
 सामान्य प्रशासन विभाग